न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–काना राम आई.ए.एस.

अपील संख्याः–09/2022 (अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम)

कलावती पत्नि श्री लाघुराम आयु 7० वर्ष जाति जाट निवासी माणुका हाल, आबाद केयर ऑफ ओमप्रकाश सियाग, वार्ड नम्बर 07, गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थीया

बनाम

1. दयाराम पुत्र श्री लादूराम जाति जाट निवासी मानुका हाल आबाद वार्ड न0. 01, गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
2. अशोक कुमार पुत्र श्री लादूराम जाति जाट निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।

––रेस्पोडेन्टान

अपील निर्णय विरूद्ध दिनांक 16.09.2022, न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीलीबंगा, प्रकरण बअनवानी कलावती बनाम दयाराम आदि, प्रकरण संख्या 05/2022 जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्वीकार किया गया।

निर्णय दिनांकः– 27.11.24

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता एव वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीया 75 वर्षीय वृद्ध व विधवा औरतजात है। प्रार्थीया के चार सन्ताने क्रमशः इन्दिरा, सरोज, दयाराम व अशोक कुमार है। प्रार्थीया के पति लादूराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीया के पति लादूराम के नाम चक 22 जे०आर०के० हल्का गोलुवाला तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 70/62 के पत्थर नम्बर 36/253 (55) किला नम्बर 01 ता 25 तादादी 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात पटवार थी। प्रार्थीया के पति लादूराम की मृत्युपरान्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया व प्रार्थीया की पुत्री सरोज देवी के हक व हिस्सा की 2/5 कृषि भूमि अर्थात कुल 10 बीघा कृषि भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 13.02.2008 के स्वंय के नाम करवा ली। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पुत्र है जो कि विवाहित है। पिछले कुछ समय से अप्रार्थीगण प्रार्थीया की सेवा चाकरी व सार–सम्भाल नहीं कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 ने मारपीट करके अर्सा 15 दिन पूर्व प्रार्थीया को घर से बाहर निकाल रखा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया मजबूर होकर अपने पारिवारिक परिचित व रिश्तेदार ओमप्रकाश सिहाग के यहां वार्ड नम्बर 07, गोलुवाला में निवास कर रही है। प्रार्थीया वृद्ध है जो अक्सर बीमार रहती है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया का भरण–पोषण नहीं कर रहे है। प्रार्थीया के पास उक्त कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है, प्रार्थीया की शारीरिक स्थिति भी ऐसी है, जिससे की प्रार्थीया स्वयं का कार्य कर अपना भरण–पोषण कर सके। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से अपने कपड़ों, खान–पान व चिकित्सकीय व आवासीय सुविधा आदि पर होने वाले खर्च व स्वयं के भरण–पोषण हेतु मांग की तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया का भरण–पोषण व अन्य खर्च देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया आदि–आदि तथ्यों पर प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टान द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही उपरान्त प्रार्थना पत्र अपीलार्थीया का अन्तिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना मानकर दिनांक 16.09.2022 को खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलार्थीया व्यथित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है–

क). अपीलाधीन निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित की गई है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्ती योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

ख). अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत कृषि भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 13.02.2008 के सम्बंध में की गई प्रार्थना की ओर कतई ध्यान दिये बगैर अपना निर्णय पारित किया है, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

ग). विधिक प्रावधानों के अनुरूप सन्तानों द्वारा माता–पिता की देखभाल व भरण–पोषण नहीं किये जाने की स्थिति में माता–पिता द्वारा सन्तान को हस्तान्तरित की गई सम्पति को माता–पिता वापिस प्राप्त कर सकतें है तथा इस सम्बंध में निष्पादित किये गये दस्तावेजों को निरस्त किये जाने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को था तथा प्रार्थीया/अपीलांट की ओर से इस आशय का निवेदन भी किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजरअन्दाज किया गया है, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुरूप दस्तबरदारी दिनांक 13.02.2008 को प्रार्थीया/अपीलांट की हद तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाना चाहिए था।

घ). अपीलांट द्वारा अपने हिस्सा के मकान के उपयोग व उपभोग में भी अप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का अनुतोष भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मांगा गया था, जिसे नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित किया है, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

ड) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्राप्त हो रही पैंशन के आधार पर अपीलांट को किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी न मानते हुए अपना निर्णय पारित किया है, जो विधिविरूद्ध व मनमाना होने से कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

3. अपीलांट वृद्ध औरतजात है तथा ज्यादा चलने–फिरने में समक्ष नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रत्येक पेशी पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जाना सम्भव नहीं था, इसके अतिरिक्त प्रकरण काफी समय तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय हेतु लम्बित था। इस वजह से प्रार्थीया अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी। प्रार्थीया द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर दिनांक 17.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए जानकारी के दिवस से अपील अन्दर मियाद है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करवाने हेतु अपीलांट द्वारा पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अपीलार्थीया जरिये न्यायमित्र श्री नवीन कुमार मोदी उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व रेस्पोडेन्टान को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान को सम्मन जारी होने बाद विधिवत तामिल होकर प्राप्त होने पर दिनांक जरिये न्यायमित्र मदन लाल मूण्ड उपस्थित हुए।

बहस सुनी गई। न्यायमित्र अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टान ने अपीलार्थीया को घर से निकाल दिया है और अपीलार्थीया इस वृद्धावस्था की हालत में दर–दर की ठोकरें खा रही है और रेस्पोडेन्टान, अपीलार्थीया की आराजी को काश्त कर लाभ उठा रहे है और अपने पुत्र होने के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे है। प्रार्थीया के पति लादूराम की मृत्युपरान्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया व प्रार्थीया की पुत्री सरोज देवी के हक व हिस्सा की 2/5 कृषि भूमि अर्थात कुल 10 बीघा कृषि भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 13.02.2008 के स्वंय के नाम करवा ली, को प्रार्थीया/अपीलांट की हद तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने व अपीलार्थीया की वृद्धावस्था में सुखमय जीवन यापन हेतु जीवन व सम्पत्ति भरण–पोषण आदि रेस्पोडेन्स से दिलवाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायमित्र रेस्पोडेन्टान द्वारा कथन किये गये कि अपीलार्थीया स्वयं व अप्रार्थी की बहनों ने रेस्पोडेन्टस से हार्दिक स्नेह होने के कारण उनको स्वेच्छा द्वारा ही अपना समस्त हक व हिस्सा रेस्पोडेन्टस के पक्ष में स्नेहपूर्वक त्याग कर दिया गया। अपीलार्थीया रेस्पोडेन्टस के साथ पैतृक मकान में ही रिहायस करती है। रेस्पोडेन्टस के पिता राजकीय सेवा में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सेवानिवृत कर्मचारी थे। पिता के देहांत के पश्चात प्रार्थीया को 21,900 रूपये मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है जिसपर उपयोग अपीलार्थीया द्वारा अपनी इच्छा से उपयोग व उपभोग किया जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थीया अन्य व्यक्तियों के कहने–सुनने में आकर उक्त परिवाद दायर किया है जो कि काबिल खारिज योग्य है।

न्यायमित्र अपीलार्थीया के कथनों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीया द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 16.09.2022 को निरस्त किये जाने अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना में धारा 5 के तहत भरण–पोषण व प्रार्थीया व प्रार्थीया की पुत्री सरोज देवी के हक व हिस्सा की 2/5 कृषि भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 13.02.2008 को प्रार्थीया/अपीलांट की हद तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाना का अनुतोष चाहा गया था। न्यायमित्र रेस्पोडेन्स अनुसार अपीलार्थीया द्वारा अपने पति की सेवानिवृत उपरान्त मृत्यु होने के पश्चात 21,900 रूपये मासिक पेंशन के रूप में उनके स्वयं के खाता में प्राप्त हो रही है जिसका उपयोग अपीलार्थीया द्वारा अपनी इच्छा से उपयोग व उपभोग किया जाता है। जहां तक अपीलार्थीया से रेस्पोडेन्टान द्वारा पंजीबद्ध करवाई गई दस्तबरदारी दिनांक 13.02.2008 को निरस्त कर अपीलांट की हद तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया किये जाने का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 23(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि **"यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद अपनी सम्पति को दान द्वारा या अन्यथा इस शर्त के साथ अन्तरण करता है कि अन्तरिती मूल सुविधाओं और आधारभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है या इन्कार करता है तो सम्पति का उक्त अन्तरण, कपट, या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अन्तर्गत किया गया माना जाएगा और अन्तरण अधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिक की वांक्षा पर शून्य घोषित किया जाएगा। यह धारा इसके लिए भी प्रावधान करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी सम्पति या उसके भाग में से भरण–पोषण को प्राप्त करने का अधिकार है, तो ऐसी सम्पति या उसका भाग अन्तरित किया जाता है वहां अधिकार का प्रवर्तन अन्तरिती के विरूद्ध किया जा सकेगा"**। परन्तु अपीलार्थी द्वारा अन्तरित प्रश्नगत कृषि भूमि के उपहार पत्र में ऐसी कोई शर्त का उल्लेख नहीं किया जाना पाया गया जिससे अपीलार्थी उक्त अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष पोषनीय नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2022 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner